	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 14, मंगलवार, *शाके* 1945-सितम्बर 05, 2023 *Bhadra 14, Tuesday , Saka 1945- September 05, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 18, 2023

जी.एस.आर.117 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम और विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों और विनियमों का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) (IV संशोधन) नियम तथा विनियम, 2023 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम तथा विनियम 2 का संशोधन.- राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम, 1999, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों तथा विनियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम तथा विनियम 2 के विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (कक) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) "बोर्ड" से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है;"

3. नियम तथा विनियम 18 का संशोधन.- उक्त नियमों तथा विनियमों के नियम और विनियम 18 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा; और

(ख) आयोग और सरकार के अधीन नियोजन से, सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।"

4. नियम तथा विनियम 20 का संशोधन.- उक्त नियमों तथा विनियमों के नियम और विनियम 20 में,-

(i) उप-नियम और उप-विनियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-नियम और उप-विनियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी यदि उसे" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी यदि उसे" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-नियम और उप-विनियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उसे विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 50% से अनधिक की अतिरिक्त अपेक्षा की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी को विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 50% से अनधिक की अतिरिक्त अपेक्षा की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) उप-नियम और उप-विनियम (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नियम और विनियम 21 का संशोधन.- उक्त नियमों तथा विनियमों के नियम और विनियम 21 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग के सचिव से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. नियम और विनियम 22 का संशोधन.- उक्त नियमों तथा विनियमों के नियम और विनियम 22 में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियत फीस का संदाय उसके/उनके द्वारा उपदर्शित रीति से करना होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियत फीस का संदाय, बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा उपदिर्शित रीति से करना होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. नियम और विनियम 24 का संशोधन.- उक्त नियमों तथा विनियमों के नियम और विनियम 24 में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. नियम और विनियम 25 का संशोधन.- उक्त नियमों तथा विनियमों के नियम तथा विनियम 25 में,-

(i) उप-नियम और उप-विनियम (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नहीं भरे गये हों, उनके द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नहीं भरे गये हों, उसके द्वारा" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग उन शेष अभ्यर्थियों को," के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड उन शेष अभ्यर्थियों को," प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "जिन्हें वह प्रवेश प्रमाणपत्र मंजूर करना उचित समझे" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिन्हें बोर्ड प्रवेश प्रमाणपत्र मंजूर करना उचित समझे" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(घ) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ङ) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग बाद में केवल ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा करेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड बाद में केवल ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा करेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-नियम और उप-विनियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग का विनिश्चय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड का विनिश्चय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. नियम और विनियम 26 का संशोधन.- उक्त नियमों तथा विनियमों के नियम और विनियम 26 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "उसे", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. नियम और विनियम 27 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों तथा विनियमों के नियम और विनियम 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"27. बोर्ड द्वारा चयन.- बोर्ड, लिपिक ग्रेड-II और आशुलिपिक के पद के लिए परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार योग्यता सूची तैयार करेगा। संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए बोर्ड, इस प्रकार तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा:

परन्तु बोर्ड, अंतत: प्रज्ञापित रिक्तियों की 50% की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगा। अतिरिक्त रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए, बोर्ड द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को मूल सूची अग्रेषित किये जाने की तारीख से 6 मास के भीतर अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर ऐसे अभ्यर्थियों के नाम की योग्यता क्रम में सिफारिश, ऐसी रीति में जो बोर्ड विनिश्चित करे, नियुक्ति प्राधिकारी को की जा सकेगी:

परंतु यह और कि,-

(i) लिपिक ग्रेड-II के पद के लिए बोर्ड, किसी ऐसे अभ्यर्थी के नाम की सिफारिश नहीं करेगा जो लिपिक ग्रेड-II के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा के चरण-I के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40% अंक और चरण-II के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने में विफल रहा हो। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक चरण के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंकों के 5% तक का शिथिलीकरण दिया जायेगा।

(ii) आशुलिपिक के पद के लिए,-

(क) परीक्षा के माध्यम से वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना के अध्यधीन रहते हुए, चरण-I के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही चरण-II में प्रवेश दिया जायेगा किन्तु उक्त रेंज में, समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को चरण-II में प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने किसी निम्नतर रेंज के लिए वही अंक अर्जित किये हों जो बोर्ड द्वारा नियत किये जा सकें।

(ख) यदि बोर्ड की यह राय हो कि, चरण-II में उपस्थित होने के लिए साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो, ऐसे आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए बोर्ड द्वारा शिथिलित मानक लागू किया जा सकेगा ताकि चरण-II में उपस्थित होने के लिए उस प्रवर्ग के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जायें। इस प्रयोजन के लिए, रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना तक की विचार की समय-सीमा शिथिलित रहेगी। तथापि, चरण-II के लिए इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अर्हित अभ्यर्थी केवल अपने-अपने प्रवर्गों के लिए आरक्षित पदों पर चयन के लिए पात्र होंगे।

(ग) बोर्ड, किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जिसने आशुलिपिक के पद की प्रतियोगिता परीक्षा में चरण-II में विकल्प में लिये गये प्रश्नपत्र में 20% से अधिक भूल/गलती की हो। तथापि, चरण-II में विकल्प में लिये गये प्रश्नपत्र में अधिकतम अनुज्ञात भूल/गलती में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 5% तक शिथिलीकरण उपलब्ध होगा।

(घ) यदि बोर्ड की यह राय हो, किसी भी प्रवर्ग में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो बोर्ड, चरण-II में अधिकतम अनुज्ञात भूल/गलती को 5% तक और शिथिल कर सकेगा।"

11. नियम और विनियम 28 का संशोधन.- उक्त नियमों तथा विनियमों के नियम और विनियम 28 में,-

(i) उप-नियम और उप-विनियम (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग ऐसी कालावधि के दौरान," के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड ऐसी कालावधि के दौरान," प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग द्वारा अपने स्वविवेक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड द्वारा अपने विवेक" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग द्वारा समय-समय पर नियत की जाए" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत की जाये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-नियम और उप-विनियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग ऐसी गलतियों को दूर करने के लिए" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड, ऐसी गलतियों को दूर करने के लिए" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) उप-नियम और उप-विनियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग को यह पता चले" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोर्ड को यह पता चले" प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. अनुसूची-II का संशोधन.- उक्त नियमों तथा विनियमों से संलग्न अनुसूची II में, विद्यमान **भाग- I-क** के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"भाग- I- क

आशुलिपिक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यविवरण

परीक्षा की स्कीम: प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र उसके सामने दर्शित अंकों का होगा, अर्थात्:-

चरण-I :

प्रश्नपत्र	विषय	परीक्षा की अवधि	अंक
1.	सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान	3 घंटे	50
	राजस्थान का सामान्य ज्ञान		50
2;	सामान्य हिंदी और अंग्रेजी	3 घंटे	100

चरण-II : अभ्यर्थी निम्नलिखित दो में से कोई एक विकल्प चुन सकेंगे:-

क्र.सं.	प्रश्नपत्र	परीक्षा की अवधि	अंक
1.	**अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण** (परीक्षण में 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुतिलेख होगा)	10 मिनट	100
	श्रुतिलिखित गद्यांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकण	60 मिनट	
2.	**हिन्दी आशुलिपि परीक्षण** (परीक्षण में 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुतिलेख होगा)	10 मिनट	100
	श्रुतिलिखित गद्यांश का कंप्यूटर पर हिन्दी में प्रतिलेखन और टंकण	70 मिनट	

स्पष्टीकरण:

1. प्रश्नपत्रों का स्तर वह होगा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा का है। परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र का पाठ्यविवरण और विस्तार ऐसा होगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को उसकी सूचना नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से दी जायेगी जो बोर्ड उचित समझे।
2. प्रतियोगी परीक्षा दो चरणों, चरण-I और चरण-II में आयोजित की जायेगी। चरण-I के समस्त प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
3. बैंचमार्क निर्योग्यता वाले व्यक्तियों की दशा में, यदि अभ्यर्थी द्वारा ऐसा वांछनीय हो, बोर्ड द्वारा विनिश्चित नियमों के अनुसार चरण-I की परीक्षा में लेखक की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। तथापि, बैंचमार्क निर्योग्यता वाले व्यक्तियों को चरण-II परीक्षा में आशुलिपि परीक्षण में लेखक की सुविधा अनुज्ञेय नहीं होगी।
4. आशुलिपि परीक्षण के लिए बोर्ड, कंप्यूटर और आशुलिपि पुस्तिका उपलब्ध करायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को स्वयं का कीबोर्ड लाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। तथापि, बैंचमार्क निर्योग्यता वाले व्यक्तियों में के प्रवर्ग 'अंधता और अल्प दृष्टि' को आशुलिपि श्रुतिलेख लेने के लिए स्वयं की स्लेट/मशीन लाने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।
5. चरण-II परीक्षा में बैंचमार्क निर्योग्यता वाले व्यक्तियों को, कम्प्यूटर पर श्रुतिलिखित गद्यांश के प्रतिलेखन और टंकण के लिए परीक्षा के 15 मिनट का प्रतीकरात्मक समय दिया जाएगा।
6. चरण-II में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से संबंधित उपबंधों और प्रत्येक चरण के उत्तीर्ण होने के मानक, इन नियमों तथा विनियमों के नियम और विनियम 22 के अनुसार होंगे।
7. परीक्षा के चरण-I और चरण-II में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उनके अंतिम योग्यता क्रम को अवधारित करने के लिए गिने जायेंगे।
8. जो अभ्यर्थी हिंदी में आशुलिपि परीक्षण का विकल्प चुनते हैं उनसे उनकी नियुक्ति के पश्चात् अंग्रेजी आशुलिपि और विपर्ययेन, सीखने की अपेक्षा की जायेगी और परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के कौशल परीक्षण के माध्यम पर विचार किये बिना, कार्यालय की कृत्यात्मक आवश्यकता के अनुसार अभ्यर्थियों को अंग्रेजी/हिंदी आशुलिपिक के रूप में कार्य करना होगा जिसकी विफलता पर नियुक्ति विभागों द्वारा उनकी परिवीक्षा पूरी नहीं की जायेगी।"

[सं. एफ. 3(2)डीओपी/ए-II/2022]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
डॉ0 शिव प्रसाद सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, August 18, 2023

G.S.R.117 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with clause (b) of Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules and regulations further to amend the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) Rules and Regulations, 1999, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules and regulations may be called the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) (IV Amendment) Rules and Regulations, 2023.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule and regulation 2.-** After the existing clause (a) and before the existing clause (b) of rule and regulation 2 of the Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) Rules and Regulations, 1999, hereinafter referred to as the said rules and regulations, the following new clause (aa) shall be inserted, namely:-

"(aa) "Board" means the Rajasthan Staff Selection Board;"

3. **Amendment of rule and regulation 18.-** In rule and regulation 18 of the said rules and regulations,-

(i) for the existing expression "the Commission or the Appointing Authority", the expression "the Board or Appointing Authority" shall be substituted; and

(ii) the existing clause (a) and (b) shall be substituted by the following, namely:-

"(a) By the Board/ Appointing Authority from admission to any examination or appearance at any interview held by the Board/ Appointing Authority; and

(b) By the Government/Appointing Authority from employment under the Commission and the Government."

4. **Amendment of rule and regulation 20.-** In rule and regulation 20 of the said rules and regulations,-

(i) in sub-rule and sub-regulation (1), for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Board" shall be substituted;

(ii) in sub-rule and sub-regulation (3), for the existing expression "Commission/Appointing Authority may", the expression "Board/Appointing Authority may" shall be substituted;

(iii) in sub-rule and sub-regulation (3), for the existing expression "received by them/it", the expression "received by the Board/ Appointing Authority" shall be substituted; and

(iv) in sub-rule and sub-regulation (4), for the existing expression "Commission/Appointing Authority", the expression "Board/Appointing Authority" shall be substituted.

5. **Amendment of rule and regulation 21.-** In rule and regulation 21 of the said rules and regulations,-

(i) for the existing expression "Commission/Appointing Authority", wherever occurring, the expression "Board /Appointing Authority" shall be substituted; and

(ii) for the existing expression "the Secretary to the Commission, the expression "the office of Board /Appointing Authority" shall be substituted.

6. **Amendment of rule and regulation 22.-** In rule and regulation 22 of the said rules and regulations, for the existing expression "Commission/Appointing Authority in such manner as may be indicated by them/it ", the expression "Board /Appointing Authority in such manner as may be indicated by the Board/ Appointing Authority" shall be substituted.

7. **Amendment of rule and regulation 24.-** In rule and regulation 24 of the said rules and regulations, for the existing expression "Commission", the expression " Board" shall be substituted.

8. **Amendment of rule and regulation 25.-** In rule and regulation 25 of the said rules and regulations,-

(i) in sub-rule and sub-regulation (1),-
  (a) for the existing expression "Commission shall be rejected by them", the expression "Board shall be rejected by it" shall be substituted;
  (b) for the existing expression "Commission shall permit rest", the expression "Board shall permit rest" shall be substituted;
  (c) for the existing expression "whom they consider it proper", the expression "whom the Board consider it proper" shall be substituted;
  (d) for the existing expression "granted by the Commission", the expression "granted by the Board" shall be substituted; and
  (e) for the existing expression "The Commission shall scrutinise ", the expression "The Board shall scrutinise" shall be substituted; and

(ii) in sub-rule and sub-regulation (2), for the existing expression "The decision of the Commission", the expression "The decision of the Board" shall be substituted.

9. **Amendment of rule and regulation 26.-** In rule and regulation 26 of the said rules and regulations,-

(i) for the existing expression "Commission/Appointing Authority", wherever occurring, the expression "Board /Appointing Authority" shall be substituted; and

(ii) for the existing expression "them/it", wherever occurring, the expression "the Board /Appointing Authority" shall be substituted.

10. **Substitution of rule and regulation 27.-** The existing rule and regulation 27 of the said rules and regulations shall be substituted by the following, namely:-

"27. Selection by the Board.- The Board shall prepare category wise merit list of the candidates declared successful in the examination for the post of Clerk Grade-II and Stenographer. The Board shall forward the lists so prepared to the Appointing Authority for appointment to the post concerned:

Provided that the Board may, to the extent of 50% of the finally intimated vacancies keep names of the suitable candidates on the reserve list. The names of such candidates may, on receipt of requisition within six months from the date on which the original list is forwarded by the Board to the Appointing Authority in such manner as the Board may decide, be recommended in the order of merit to the Appointing Authority for appointment against additional vacancies.

Provided further that,-

(i) for the post of Clerk Grade-II, the Board shall not recommend name of any candidate, who has failed to obtain a minimum of 40% marks in each of the paper of the Phase-I and a minimum of 36% marks in each of the paper of the Phase-II of the competitive examination for the post of Clerk Grade-II. However relaxation in minimum marks upto 5% shall be given in each paper of each phase

of examination to the candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes categories.

(ii) for the post of Stenographer**,-**

(a) the candidates securing minimum 40% marks in each of the paper of Phase-I shall only be admitted to the Phase-II subject to fifteen times the total approximate number of vacancies to be filled in the year through the examination but in the said range all those candidates who secure the same marks as may be fixed by the Board for any lower range will be admitted to the Phase-II.

(b) if the Board is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to reserved category are not available on the basis of general standard for appearing in the Phase-II, relaxed standard may be applied by the Board for admitting candidates belonging to such reserved category so that sufficient number of candidates in that category are available to appear in the Phase-II. For this purpose, the zone of consideration of 15 times the total approximate number of vacancies shall stand relaxed. However, candidates so additionally qualified for the Phase-II will be eligible for selection to the posts reserved for respective categories only.

(c) the Board will not recommend any candidate who makes more than 20% mistakes/error in the paper opted in Phase-II of the competitive examination for the post of Stenographer. However relaxation in maximum permissible mistakes/error in paper opted in Phase-II, up to 5% shall be available to Scheduled Castes/Scheduled Tribes category candidates.

(d) if the Board is of the opinion that sufficient number of candidates are not available in any category, Board may further relax maximum permissible mistakes/error upto 5% in Phase-II."

11. **Amendment of rule and regulation 28.-** In rule and regulation 28 of the said rules and regulations,-

(i) in sub-rule and sub-regulation (1),-

(a) for the existing expression "Commission may order", the expression "Board may order" shall be substituted;

(b) for the existing expression "Commission in their discretion", the expression "Board in it's discretion" shall be substituted;

(c) for the existing expression "fixed by the Commission", the expression "fixed by the Board" shall be substituted; and

(ii) in sub-rule and sub-regulation (2), for the existing expression "Commission may take steps", the expression "Board may take steps" shall be substituted; and

(iii) in sub-rule and sub-regulation (3), for the existing expression "Commission discovers", the expression "Board discovers" shall be substituted.

12. Amendment of Schedule-II.- In Schedule II appended to the said rules and regulations, the existing Part-I-A shall be substituted by the following, namely:-

"Part-I-A
SCHEME AND SYLLABUS OF THE COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF STENOGRAPHER

Scheme of examination: The competitive examination shall include the following papers and each paper shall carry the number of marks as shown against it, namely:-

Phase-I:

PAPER	SUBJECT	DURATION OF EXAMINATION	MARKS
1.	General Knowledge, Everyday Science.	3 Hours	50
	General Knowledge of Rajasthan.		50
2.	General Hindi and English	3 Hours	100

Phase-II: The candidates may opt any one of the following two papers :-

S.No.	PAPER	DURATION OF EXAMINATION	MARKS
1.	**English Shorthand Test** (The test shall consist of dictation of 100 words per minute)	10 Minutes	100
	Transcription and typing of dictated passage in English on computer.	60 Minutes	
2.	**Hindi Shorthand Test** (The test shall consist of dictation of 100 words per minute)	10 Minutes	100
	Transcription and typing of dictated passage in Hindi on computer.	70 Minutes	

Explanation:

1. The standard of the papers will be that of the Secondary Examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan. The Syllabus and scope of each paper for the examination will be as prescribed by the Board, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Board deems fit.
2. The competitive examination will be held in two phases, Phase-I and Phase-II. All the papers of Phase-I will be of objective type.
3. In case of persons with benchmark disabilities (PwDs), the facility of scribe will be provided in Phase-I examination as per rules decided by the Board, if desired by the candidate. However, persons with benchmark disabilities (PwDs) will not be allowed to the facility of scribe in Shorthand Test in Phase-II Examination.
4. The Board will provide the Computer and Shorthand Notebook for the shorthand test. No candidate will be allowed to bring his own Keyboard. However, 'Blindness and Low vision' category in persons with benchmark disabilities (PwDs) will be allowed to bring their own Slate/Machine for taking Shorthand dictation.
5. A compensatory time of 15 minutes of examination for transcription and typing of dictated passage on computer will be provided to the persons with benchmark disabilities (PwDs) in the Phase-II examination.
6. Provisions regarding number of candidates admitted to Phase-II and passing standards of each phase will be as per rule and regulation 27 of these rules and regulations.
7. The marks obtained by a candidate in the Phase-I and Phase-II of the examination will be counted for determining their final order of merit.
8. Candidates who opt to take the Stenography test in Hindi will be required to learn English Stenography and vice versa after their appointment and candidates have to work as English/Hindi stenographers as per the functional requirement of the Office irrespective of the medium of Skill Test of candidate during the examination, failing which their probation may not be cleared by appointment departments."

[No. F. 3(2) DOP/A II/2022]
By order and in the name of the Governor,
DR. SHIV PRASAD SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.